

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (TEMPORARY  
POWERS OF CONTROL) (CONTINUANCE) ACT,  
1970.

(U. P. Act No. 12 OF 1970)

[\**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Electricity  
(Temporary Powers of Control) (Jari Rakhne Ka)  
Adhiniyam, 1970*].

AN  
ACT

U. P. Act VI of 1947. *to provide for the continuance, for a limited period, of the U. P. Electricity (Temporary Powers of Control) Act, 1947.*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of Control) (Continuance) Act, 1970.

Amendment of section 1 of U. P. Act VI of 1947.

2. In sub-section (4) of section 1 of the U. P. Electricity (Temporary Powers of Control) Act, 1947, for the figures "1968", the figures "1973" shall be substituted.

Repeal of President's Act No. 26 of 1968.

3. The Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of Control) (Continuance) Act, 1968, is hereby repealed.

---

(\*For statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated September 1, 1969).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 3, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 11, 1970).

(Received the Assent of the President on April 7, 1970 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 8, 1970).

PSUP—A.P. 69 Genl. (Leg.)—1970. 1,848 (M):

Price 05 Paise.

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल)  
(जारी रखने का) अधिनियम, 1970  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।)

यू० पी० यूसी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, 1947 को  
ऐक्ट 6, सीमित अवधि के लिए जारी रखने का उपबन्ध करने के लिए  
1947

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) संक्षिप्त शीर्षनाम  
(जारी रखने का) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

2—यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, 1947 यू० पी० ऐक्ट 6,  
की धारा 1 की उपधारा (4) में अंक "1968" के स्थान पर अंक "1973" 1947 की धारा  
रख दिए जायें। 1 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी राष्ट्रपति अधि-  
रखने का) अधिनियम, 1968 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। नियम संख्या  
26, 1968  
का निरसन.

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 28, सितम्बर 1969  
ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।)